न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D 64/2016 श्री भंवरसिंह **बनाम** मांगूसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22–05–2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट के वाद पर प्रकरण में परिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश–11, नियम–12 पर दिनांक 15–3–2016 को उक्त आवेदन का निस्तारण करने के बाद प्रकरण प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्ट के जवाब में लम्बित था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के जवाब में लम्बित प्रकरण को अपीलान्ट वादी को सूचित किये बिना सिर्फ प्रतिवादी मांगूसिंह के लोक अदालत कैम्प कठार में पेश होने पर निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया :– ***''15–6–17 प्रकरण अटल सेवा कैम्प मांगूसिंह कठार पर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी मांगूसिंह उपस्थित होकर एक अंतिम इच्छा पत्र दिनांक 30–11–11 को हुए पंजीयन की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा वाद 88, 188 आर.टी.ए. का वसीयत पत्र दिनांक 31–3–14 अनरजिस्टर्ड पत्र के आधार पर ही वाद किया गया है।*** ***प्रकरण सिविल न्यायालय का है। दोनों पक्ष अपील वसीयत सिविल न्यायालय से प्रमाणित करावें।*** ***अतः वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।*** **ह0/–** **सहायक कलक्टर** **(फास्ट ट्रेक) गिर्वा** **कलक्टर परिसर उदयपुर** अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलान्ट को सूचित किये बिना, सुने बिना जवाब दावा रेस्पोन्डेन्ट का लिए बिना, किसी प्रकार का राजीनामा हुए बिना पारित किया गया उपरोक्त निर्णय विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा	

	अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–6–2016 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी का जवाब दावा लेकर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24–7–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........08............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।